

दिनांक-23.02.2015 को पटना मास्टर प्लान, 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन हेतु गठित समिति की पंचम बैठक में विमर्शित एवं निष्पादित आपत्तियों का सारांशित विवरण एवं कार्यवाही प्रतिवेदन : -

(उपस्थिति : संलग्न)

1) इस बैठक में निष्पादित आपत्तियों की सूची एवं विवरण निम्न प्रकार हैं -

| निष्पादित आपत्तियों की क्र० सं० | कोटिवार आपत्ति क्र० सं० | आपत्तिकर्ता का नाम, पता, दूरभाष/मोबाईल नं०, ई-मेल आई०डी०/आपत्ति एवं सुझाव का संदर्भ (मैप, रिपोर्ट, डी०सी०आर०) | आपत्ति/सुझाव का विवरण | समिति की अनुशंसा |
|---------------------------------|-------------------------|---|--|--|
| (i) | (ii) | (iii) | (iv) | (v) |
| 01 | 176 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक/कामर्शियल क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में मौजा बांकीपुर, मछरियावाँ को Conservation में दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से M/S Ganpati Blocks manufacturing Pvt. Ltd. प्लॉट नं०- 3115, खाता नं०- 264, थाना नं०- 27 में स्थापित है। इसलिए इसे औद्योगिक/कामर्शियल क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में अन्य मामलों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 02 | 177 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक/कामर्शियल क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में बिहटा के श्रीरामपुर पंचायत के ग्राम महादेवपुर फुलारी को शहरी-कृषि क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से तकरीबन 10-11 छोटी और बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत है यथा- गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड, बालमुकुन्द कॉनकास्ट, बज्र सिमेंट, निर्माण सिमेंट, कैम्पर कॉनकास्ट, पाईनेक्स आदि। इसलिए इसे औद्योगिक अथवा कामर्शियल क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में अन्य मामलों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 03 | 178 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक/कामर्शियल क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में फुलवारी ब्लॉक के अंतर्गत नयाटोला और बोउचाचक ग्राम को शहरी-कृषि क्षेत्र दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से कई छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत है यथा- गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग्स लिमिटेड, गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (रॉलिंग मिल), नालन्दा बिस्कुट, फेना सर्फ इण्डस्ट्रीज, सॉ-मिल आदि। इसलिए इसे औद्योगिक अथवा कामर्शियल क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में अन्य मामलों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 04 | 179 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक/कामर्शियल क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में फुलवारी ब्लॉक के अंतर्गत नयाटोला और बोउचाचक ग्राम को शहरी-कृषि क्षेत्र दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से कई छोटी-बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत है यथा- गंगोत्री इलेक्ट्रोकास्टिंग्स लिमिटेड, गंगोत्री आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (रॉलिंग मिल), नालन्दा बिस्कुट, | पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाई के सम्बन्ध में अन्य मामलों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |

23/02/15

Signature

| | | | | |
|----|-----|--|---|--|
| | | | फेना सर्फ इन्डस्ट्रीज, सॉ-मिल आदि। इसलिए इसे औद्योगिक अथवा कामर्शियल क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। | |
| 05 | 180 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में मौजा सिकंदरपुर (ग्रीड-7) को फॉरेस्ट लैंड दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से M/S Gupta Nutritions Pvt. Ltd. स्थापित है। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र दिखाया जाए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक ईकाई के सम्बन्ध में उपर की अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 06 | 181 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | पूर्वी पटना के मालसलामी और दीदारगंज क्षेत्र में कई छोटे - बड़े औद्योगिक इकाईयाँ कार्यरत है। इसलिए मौजा सिमलीमुरारपुर, चिमोचक, धवलपुर, अब्दुलरहमानपुर, चितमा, मोहम्मदपुर, सबलपुर, मिरचक कोठिया को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक ईकाई के सम्बन्ध में उपर की अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 07 | 182 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में मौजा सिकंदरपुर (ग्रीड-7) को फॉरेस्ट लैंड दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से M/S Gupta Nutritions Pvt. Ltd. स्थापित है। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र दिखाया जाए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक ईकाई के सम्बन्ध में उपर की अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 08 | 183 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में मौजा सिकंदरपुर (ग्रीड-7) को फॉरेस्ट लैंड दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से M/S Gupta Nutritions Pvt. Ltd. स्थापित है। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र दिखाया जाए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक ईकाई के सम्बन्ध में उपर की अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 09 | 184 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में मौजा बांकीपुर, मछरियावाँ को Conservation में दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से M/S Ganpati Blocks manufacturing Pvt. Ltd. प्लॉट नं०- 3115, खाता नं०- 264, थाना नं०- 27 में स्थापित है। इसलिए इसे औद्योगिक/कामर्शियल क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक ईकाई के सम्बन्ध में उपर की अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 10 | 197 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज विषय- औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने के संबंध में। | प्रस्तावित मास्टर प्लान में आलमपुर बंका घाट, पटनासिटी को फॉरेस्ट जोन दिखाया गया है। जबकि यहाँ पहले से M/S Lucky Biscuit Company स्थापित है। इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जाए। | पूर्व अवस्थित औद्योगिक ईकाई के सम्बन्ध में उपर की अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 11 | 198 | बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज विषय- मास्टर प्लान से संबंधित सुझाव एवं आपत्तियाँ। | 1. प्रस्तावित मास्टर प्लान में जलसंधानों को मजबूती प्रदान करने हेतु Water Bodies को सम्मिलित कराना चाहिए। 2. प्रस्तावित मास्टर प्लान में गंगा के उत्तरी इलाकों पर भी विचार किया जाना चाहिए। 3. प्रस्तावित मास्टर प्लान में सड़क के साथ सीवरेज, दूरसंचार एवं गैस आपूर्ति व्यवस्था को दर्शाया जाना चाहिए। 4. प्रस्तावित मास्टर प्लान में पुनपुन को नये प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए चिह्नित किया गया है जो Flood Zone Area में आता है अतः एयरपोर्ट को बाढ़ से सुरक्षा के साधनों पर विचार किया जाना चाहिए। | परामर्शी से विमर्श कर आवेदन के आलोक में अनुशंसा की जाएगी। |

| | | | | |
|----|--|---|--|---|
| | | | 5. प्रस्तावित मास्टर प्लान में भूमि अधिग्रहण के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। | |
| 12 | | अंचल अधिकारी, नौबतपुर विषय- सड़क निर्माण के संबंध में। | भगवानपुर ओर अदला के बीच प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क जो कब्रिस्तान एवं उपजाऊ जमीन पर दर्शाया गया है। उसे पंगडंडी एवं पाईन धराकर एस०एच०-78 को पार कराते हुए राघोपुर बिहटा की ओर बढ़ा दिया जाए। | परामर्शी से विमर्श कर आवेदन के आलोक में अनुशंसा की जाएगी। |

E-Mail से प्राप्त आपत्ति

| | | | | |
|----|----|--|--|--|
| 13 | 14 | राकेश कुं सिंह (kumarks@gmail.com) | Commercial area के demarcation के संबंध में। | UDPFI Guide Line के आलोक में व्यवसायिक क्षेत्र का प्रतिशत Projected Poulation के आधार पर तय किया गया है। इसके अतिरिक्त लैण्डयुज आवासीय से व्यवसायिक करने के सम्बन्ध में दिनांक-30.12.2014 को समीति के बैठक के अनुशंसा के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है। |
| 14 | 35 | श्रवण कुमार doctorshrawan@yahoo.com | पटना-मसौढ़ी मेन रोड को commercial & Residential एरिया दिखाने हेतु | परामर्शी से विमर्श कर आवेदन के आलोक में अनुशंसा की जाएगी। |
| 15 | 43 | विनय vinay@hebefinancial.com | प्लॉट नं०-662 को Industrial land में अंकित करने हेतु Please refer to Patna Master plan's proposed land use file in combination with Grid 13 file. Industrial land use (color Pink) in map of Agamkuan area (Map Grid 13) includes plots between 496 to 530; 588, 589, 593, parts of 647 & 649. On physical inspection of this area one will find that plot no 662 is left out in Industrial land use as Industry is already running there. I request you to modify the proposed Master-plan and include plot 662 for Industrial land use in Agamkuan area within map grid 13. | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। |
| 16 | 50 | सुशील कुमार बजाज bajajbaildconpvtltd. | Land bank near Gaurichak, Objection in Commercial प्रस्तावित मास्टर प्लान में अवासीय उपयोग, मनोफैकचरिंग एवं पब्लिक सेमी पब्लिक कंवरशेसन दिखाया गया है। जिस भूमि को अवासीय दिखाया गया है वह पूर्व से ही वाणिज्यिक के रूप में व्यवहार में लाया जा रहा है। Service sector like Hospoital, Hotel, Resort, Mall, School, & residential cum commercial complex के लिए लैण्ड बैंक के | आवेदन में वंशित इलाके के कई क्षेत्र मास्टर प्लान में आवासीय एवं कमर्शियल लैण्डयुज के अन्तर्गत चिन्हित है। बिहार भवन उपविधि, 2014 के अध्याय-iii उपविधि-28 के सारणी-4, कॉलम-3 (Uses/Activities Permissible on Approval by Authority) में आवासीय युजजोन के अन्तर्गत व्यवसायिक गतिविधि का प्रावधान है। |

| | | | | |
|----|----|---|---|---|
| | | | सम्बन्ध में। लैण्ड बैंक से सम्बन्धित विवरणी Accquired हेतु परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। | |
| 17 | 57 | द्विपुंज देव dwipunjde089@gmail.com | Commercial area को दर्शाने के संबंध में। | परामर्शी से विमर्श कर आवेदन के आलोक में अनुशंसा की जाएगी। |
| 18 | 58 | सुमित सिन्हा sumitsinha332@gmail.com | Not Found | परामर्शी से विमर्श कर आवेदन के आलोक में अनुशंसा की जाएगी। |
| 19 | 68 | आनन्द सोनी anand.ricpl@gmail.com | झाउगंज लेन से पटना सिटी तक स्पेशल एरिया घोषणा करने के सम्बन्ध में। पूर्व से ही Vishala Industrial Craft Pvt. Ltd. कार्य कर रहा है। | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। |
| 20 | 70 | प्रो० अशोक कुमार, बी०एन० कॉलेज, पटना | कदमकुआँ में मथुरा-प्रसाद सिंह रोड एवं शास्त्री नगर को व्यवसायिक क्षेत्र घोषित करने के संबंध में। | पूर्व पी०आर०डी०ए० मास्टर प्लान, भूखण्ड की प्रकृति के आधार पर कन्सलटेन्ट से विमर्श कर विचार किया जा सकता है। लैण्डयुज आवासीय से व्यवसायिक करने के सम्बन्ध में दिनांक-30.12.14 को समिति के बैठक की अनुशंसा (कंडिका-6) के आलोक में निर्णय लिया जा सकता है। |
| 21 | 71 | निदेशक, मारुती मेटिटच प्रा० लिमिटेड/Marutimed@ gmail.com | grid 14 को संशोधन के संबंध में (industrial land use के संबंध में) | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii), मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। |

अपना
23/01/15

AM
AS

| | | | | |
|----|----|---|--|--|
| 22 | 72 | निदेशक, मारुती मेडिटच प्रा० लिमिटेड / Marutimed@gmail.com | greed 14 को संशोधन के संबंध में (industrial land use के संबंध में) | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii), मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 23 | 73 | निदेशक, मारुती मेडिटच प्रा० लिमिटेड / Marutimed@gmail.com | greed 14 को संशोधन के संबंध में (industrial land use के संबंध में) | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii), मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 24 | 74 | शिवा पॉलिट्यूब प्रा० लिमिटेड shivapolytubes94@gmail.com | greed 14 को संशोधन के संबंध में (industrial land use के संबंध में) | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii), मास्टर |

sh: 37 12 15

| | | | | |
|----|----|---|--|---|
| | | | | प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 25 | 75 | Dadiji Steels Limited dadijisteels@rediffm ail.com | | पूर्व अवस्थित औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में उपर की अन्य कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। |
| 26 | 76 | Raman Prakash Sah Banke Behari Food Pvt. Ltd. | Mauza Digha Declared as Residential Area in Place of Industrial Zone | आवेदन में प्लॉट न० उल्लेखित नहीं है। लैण्डयुज बदलने से सम्बन्धित निर्णय परामर्शी से विमर्श कर विचार कर लिया जा सकता है। |
| 27 | 77 | बाँके बिहारी फूड प्रा० लिमिटेड bbp_patna@hotmail. com | Mauza Bharatpur Simli, Malslami, Patna City show as Special Area This Area is Industrial/Commercial. | दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 28 | 78 | श्री बेहारी जी मिल्स प्रा० लिमिटेड भरतपुर सिमली, मालसलामी | Special Area के बदले Existing Activites के आधार पर आद्यौगिक एवं व्यवसायिक जोन दर्शाने के संबंध में। | दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 29 | 81 | अनुप कसेरा Sonamotiagro@yaho o.in | ग्रिड 14 में प्लॉट न०-1344, 1345, 1320, 1321, मौजा दौलपुरा में स्थित प्लॉटों को अवासीय जोन के जगह पर औद्योगिक जोन दर्शाने के जगह में। इस प्लॉट पर Rainbow Products pvt. Ltd पहले से ही कार्य कर रहा | दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के |

| | | | | |
|----|----|---|--|--|
| | | | है। | Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 30 | 82 | अनुप कसेरा sonamotiagro@yahoo.in | ग्रिड 14 में प्लॉट नं०-1325, 1326, 1327, 1329, 1330 मौजा दौलपुरा में स्थित प्लॉटों को व्यवसायिक जोन के जगह पर औद्योगिक जोन दर्शाने के जगह में। इस प्लॉट पर Sonamoti Agrotech pvt. Ltd पहले से ही कार्य कर रहा है। | दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 31 | 83 | अमर कसेट amarkasera@gmail.com | ग्रिड 14 में मौजा नगला में प्लॉट नं०-1160 एवं 1166 के सम्बन्ध में। आवासीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र करने के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में कहना है कि पूर्व से ही Sonagold Agrochem Pvt. Ltd. पहले से ही पोलिटी फीड चल रहा है। | दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 32 | 99 | नीलकमल स्टील प्रा० लिमिटेड नारायणप्लाजा neelkamal_steels2006@yahoo.co m | मास्टर प्लान के Grid-14 का सुधारा करें। In this connection we would like to draw your kind attention that on Plot Nos. 1347, 1348, 1350, 1351, 1362, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1366, 1368, 1369, 1370, 1371, 1373, 1374, 1375, 1382 are shown as residential land | दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख |

| | | | | |
|----|-----|--|---|---|
| | | | where as an industrial unit namely. m/s Nee Kamal steel Pvt. Ltd. in already running size long on. | उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में Industrial Area की प्रतिशता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 33 | 153 | गणेश खेत्रीवाल gkkhetriwal@gmail.com Sub.-Subject : Objetion in Proposed Patna Master Plan 2031 | 1. There has been a lot of construction and development in various localities in and around Patna. Therefore, the Master Plan should has a clause that all the construction on the date from which the Proposed Master Plan would be notified would be treated as regularized. The master plan should not apply retrospectively and only new construction should be covered under it. 3. The below mentioned areas of Eastern Patna mainly under PS - Malsalami and PS Didarganj have several small scale industries employing lakhs of workers. These should be classified as "INDUSTRIAL" | निर्माण से सम्बन्धित प्रावधान बिहार भवन उपविधि, 2014 में किया गया है। दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii)ए मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। Industrial Area के सम्बन्ध में विचारणीय बिन्दुओं का उल्लेख उक्त बैठक की कंडिका-3, vi में किया गया है। उक्त के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर विचार कर निर्णय लिया जा सकता है। |
| 34 | 154 | रमेश सराफ rsvsaraf@yahoo.co.in Sub.- Objection in respect of Mauza Bankipore Macchariyawan (Pin Code 803201, Patna declared as Conservation in place of Industrial Zone in Draft Master Plan | proposed Master Plan – 2031 has shown the area at Mauza Bankipore Macchariyawan, Patna under "Conservation" and for this purpose we are filing our objection as under :- 1. That our industry M/s Ganpati Blocks Manufacturing Pvt. Ltd. is situated since 2013 under Plot No. 3115 Khata No. 264, Thana No. 27, Vill : Bark Shiv Chak, Mauza-Bankipore Macchariyawan. Our aforesaid Land Plot is used for Industrial/Commercial purpose. 2. That all the concerned department has granted registration and licenses for the above manufacturing purpose at Bankipore Macchariyawan, Patna i.e. (1) License under Factories Act | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii), मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है। AS mm |

(2) Registration under Commercial Tax (3) Consent for Air & Water Pollution by Bihar State Pollution Control Board (5) The Factory Map has approved by the Chief Inspector of Factories, Bihar.

3. That adjoining plots of our industries is declared as Industrial Plot (Pink), whereas our plots are marked as supposed to be Conservation area.

4. That the area Bankipore Maccharyawan has also Industrial unit as well as commercial establishment adjoining our factory Ganpati Blocks Manufacturing Pvt. Ltd. and the local resident has not raised any objection for the said industrial units.

5. That so many industrial units situated surrounding at Bankipore Maccharyawan area.

Looking all the above aspects your opinion to declare this area in your map as Conservation instead of "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ZONE" seems to be wrong and if the same has not been changed the lively hood of thousands of people directly or indirectly engaged/depending on these industrial unit will be paralyzed.

In view of the above facts & circumstances this is our humble request to re-consider our objection and revise your Land use Plan

Dr. M ✓

AS

4. That the area Bankipore Maccharyawan has also Industrial unit as well as commercial establishment adjoining our factory Ganpati Blocks Manufacturing Pvt. Ltd. and the local resident has not raised any objection for the said industrial units.

5. That so many industrial units situated surrounding at Bankipore Maccharyawan area.

Looking all the above aspects your opinion to declare this area in your map as Conservation instead of "INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ZONE" seems to be wrong and if the same has not been changed the lively hood of thousands of people directly or indirectly engaged/depending on these industrial unit will be paralyzed.

In view of the above facts & circumstances this is our humble request to re-consider our objection and revise your Land use Plan

36

170

केशरी शाह
keshrisharad@gmail.com
विषय- सगुना मोड़ को
कामर्शियल क्षेत्र दिखाने के
संबंध में।

I would like to draw your attention toward the new master plan for patna regarding the new patna and commercial use of some places, like SAGUNA MORE crossing is the up coming business hub for new patna. We all consider that it will be the best site for corporate and high class business standard with five star hospitality. I would like to suggest you to please consider new patna from the railway bridge towards saguna more and to consider the entire saguna more to khagaul station road as commercial place. As you would have also seen that the road is of more than 100 feet and on both side of the same good commercial sites have been developed. So it would

सगुना खगौल रोड के दोनों तरफ वर्तमान में अधिकांश क्षेत्र में आवासीय, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक गतिविधियां चल रही है। यह एक मुख्य सड़क है। भविष्य में योजनाबद्ध विकास को ध्यान में रखते हुए सगुना खगौल रोड के दोनों तरफ कन्सलटेन्ट के परामर्श से व्यवसायिक स्ट्रीप करने पर निर्णय लिया जा सकता है।

| | | | | |
|----|----|--|--|---|
| | | | <p>been great help for all types of big commercial industry to develop in our city because it also connects Patna from NH 30</p> <p>So, once again I would like to request your good self to consider my suggestion and to the need full.</p> | |
| 37 | 10 | सुमीत कुमार sumit4uk@yahoo.com | New Patna का विस्तार एक्सप्रेसवे के साथ बिहटा की ओर किए जाने के संबंध में। | मास्टर प्लान में बिहटा की ओर एक्सप्रेसवे का विस्तार किया गया है। |
| 38 | | राजीव सिन्हा Rajivsinha154@gmail.com | खुशरूपुर पंचायत को मास्टर प्लान में शामिल करने हेतु। प्लानिंग एरिया विस्तार के संबंध में 50 प्रतिशत विस्तार करने का प्रावधान है। | दिनांक-12.01.2015 के समीति के बैठक में कंडिका-3(vii) के आलोक में परामर्शी से कराया जा सकता है। |
| 39 | 24 | राजीव सिन्हा Rajivsinha154@gmail.com | खुशरूपुर पंचायत को मास्टर प्लान में शामिल करने हेतु। | दिनांक-12.01.2015 के समीति के बैठक में कंडिका-3(vii) के आलोक में परामर्शी से कराया जा सकता है। |
| 40 | 25 | गौरीशंकर प्रसाद सिन्हा, सचिव, खुशरूपुर नागरिक संघ | खशरूपुर पंचायत को मास्टर प्लान में शामिल करने हेतु। | दिनांक-12.01.2015 के समीति के बैठक में कंडिका-3(vii) के आलोक में परामर्शी से कराया जा सकता है। |
| 41 | 26 | रवि रंजन कुमार Raviranjankumar62@gmail.com | सिटी एरिया कम से कम 50 KM होना चाहिए। | यह मास्टर प्लान के आयोजना क्षेत्र के निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है। |
| 42 | 27 | धीरज गौड़ Dk77436@gmail.com | 1-मनेर को नगर परिषद 2-एन0एच0-30 को फिर से बनाना 3-सिटी बस, मोनो रेल, मेट्रो आदि के सम्बन्ध में | मास्टर प्लान से सम्बन्धित नहीं है। 80 मीटर चौड़ी रोड, मनेर से पटना प्रस्तावित है। |
| 43 | 29 | डॉ० पंकज कुमार लाल पत्रकार हिन्दुस्तान मो०- 9308524107 | खुशरूपुर को मास्टर प्लान में शामिल करना। | दिनांक-12.01.2015 के समीति के बैठक में कंडिका-3(vii) के आलोक में परामर्शी से कराया जा सकता है। |
| 44 | 45 | विश्वजीत यादव vky040255@gmail.com | <p>पटना दियारा क्षेत्र को सम्मिलित करने के संबंध में पटना के सिवरेज सिस्टम के संबंध में।</p> <p>It is matter of immense pleasure to see that Patna is developing with fast rate. It is good-looking to see that Patna Development Master Plan - 2031 is open for public feedback. I am sure that Patna will be in topmost cities of India in near future due to positive approach of Government as well as people.</p> <p>Proposed Master Plan is very fine. However, I would like make your attention towards water locked Diyara areas (under Patna Sadar, Danapur, Maner)</p> | <p>दियारा क्षेत्र को मास्टर प्लान में Bio conservation use zone में दिखलाया गया है।</p> <p>श.</p> <p>ASB</p> <p>OMM</p> |

near to Patna (Marked in attached map). This area is undeveloped even it is attached with Patna. I request to you please consider following points in proposed master plan.

1. At present there is great possibility of development of water locked area nearby Patna. These Diyara areas come under Patna Sadar, Danapur, Maner and some blocks of Saran (Refer marking in map). I understand that there is huge investment in development of Water locked area. However, I feel that these areas can be developed through PPP mode. I am sure that residents of these Diyara areas are always ready with supporting hand. At present costing of land is very low in landlocked areas and Public Private Partnership can be easily implemented. This can happened only after your initiatives.

2. Further, You are well aware that Patna is facing water logging problem from long time. Hence, I request to you please ensure the consideration of firm plan for sewerage system. This is mandatory requirement for developed Patna.

3. Time to time motivational message must be spread among people to maintain cleanliness. I request on behalf of peoples of Diyara areas, please consider the above request. Hoping for your favorable action.

| | | | | |
|----|----|---|---|--|
| 45 | | | <p>I am sure that residents of these Diyara areas are always ready with supporting hand. At present costing of land is very low in landlocked areas and Public Private Partnership can be easily implemented. This can happened only after your initiatives.</p> <p>2. Further, You are well aware that Patna is facing water logging problem from long time. Hence, I request to you please ensure the consideration of firm plan for sewerage system. This is mandatory requirement for developed Patna.</p> <p>3. Time to time motivational message must be spread among people to maintain cleanliness. I request on behalf of peoples of Diyara areas, please consider the above request. Hoping for your favourable action.</p> | <p>दियारा क्षेत्र को मास्टर प्लान में Bio conservation use zone में दिखलाया गया है।</p> |
| 46 | 46 | mahabir Bidasaria mahabir@bidasaria.in | दीदारंगज-बख्तियारपुर PMP में नहीं है। औद्योगिक विकास क्षेत्र नहीं है। औद्योगिक विकास के संबंध में। | दीदारंगज-बख्तियारपुर फोर लेन को परामर्शी के द्वारा दिखलाया जायेगा। |
| 47 | 78 | श्री बेहारी जी मिल्स प्रा० लिमिटेड भरतपुर सिमली, मालसलामी | Special Area के बदले Existing Activites के आधार पर आद्यौगिक एवं व्यवसायिक जोन दर्शाने के संबंध में। | <p>मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है।</p> <p>दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक में विमर्शित (कंडिका-3, iii), मास्टर प्लान में प्रस्तावित लैण्डयुज क्षेत्र में Non Conforming Uses के Existing Structure की सशर्त यथा स्थिति बनाये रखने के आलोक में एवं औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने एवं इसके क्षेत्रफल प्रतिशत में वृद्धि करने के सम्बन्ध में परामर्शी से विमर्श कर निर्णय लिया जा सकता है।</p> |

| | | | | |
|----|-----|--|--|--|
| 48 | 62 | अजीत कुमार ajeet.akpatna@gmail.com | पटना शहर को उत्तर से दक्षिण के तरफ सरकारी प्रोजेक्ट established किया जाय जिससे कि इन्फर्स्ट्रक्चर का विकास हो। स्टेडियम हॉस्पिटल, शैक्षणिक प्रोजेक्ट स्टेबलिस किया जाय। करने हेतु सुझाव | UDPFI Guide Line के आलोक में Public and Semi Public Use zone का मास्टर प्लान में दिखलाया गया है। जिसेमें सरकारी प्रोजेक्ट, शैक्षणिक प्रोजेक्ट का कार्य किया जा सकता है। |
| 49 | 68 | आनन्द सोनी anand.ricpl@gmail.com | झाउगंज लेन से पटना सिटी तक स्पेशल एरिया घोषणा करने के सम्बन्ध में। पूर्व से ही Vishala Industrial Craft Pvt. Ltd. कार्य कर रहा है। | मास्टर प्लान के नक्शा में पटना नगर निगम के अधिकांश क्षेत्रों को Special Area के अन्तर्गत दर्शाया गया है। जिसके Redevelopment एवं Zonal Development के सम्बन्ध में दिनांक-12.01.2015 को आयोजित समिति की बैठक की कंडिका-2 (ix & x) में उल्लेख किया गया है। |
| 50 | 143 | प्रियंका बनर्जी pbanerjee750@gmail.com Sub:- Filed for Circuse etc and Removal of Khatal and Cowdung | Patna Town requires place/field for Circus, Exhibition with rides and Handloom products of different states for which no allotment has been made in the middle of town which is necessary for public entertainment specially for women and Children. My proposal is to allot a piece of land in the middle of town in an area of about 5 acres either in the Gandhi Maidan, Harding Park or Miller High School ground for these purposes There is one plot of land Khata No. 307 at Mohalla-Jogiatola, Patna, upon which so many poor person are living for long and there is seprate plot of all the occupants with their signatures filed in the Hon'ble High Court and District Magistrate Patna, when one Sunil Kumar Gupta had claimed for that land and lost. That there is also one small plot of Ram Pravesh Rai as of others in the said plot. That Ram Pravesh Rai with bad intention has started to keep his Cows, Cowdung upon the land of others which has created a problem for daily Halla-Gulla and there is | मास्टर प्लान में UDPFI Guide Line के आलोक में Open Space and Recreation Area का प्रावधान में किया गया है। |

| | | | | |
|----|-----|---|---|--|
| | | | <p>apprehension of breach of peace among them.</p> <p>That against the general order of the Hon'ble High Court not to keep Khatal in Mohalla and store cowdung in Mohalla the said Ram Pravesh Rai is doing that and creating Nuisance.</p> | |
| 51 | | | <p>which has created a problem for daily Halla-Gulla and there is apprehension of breach of peace among them.</p> <p>That against the general order of the Hon'ble High Court not to keep Khatal in Mohalla and store cowdung in Mohalla the said Ram Pravesh Rai is doing that and creating Nuisance.</p> | <p>मास्टर प्लान में UDPFI Guide Line के आलोक में Open Space and Recreation Area का प्रावधान में किया गया है।</p> |
| 52 | 158 | <p>विजय कुमार jaybrpnn@gmail.com Sub.- Master plan 2031 High Speed ring Road, main Draing</p> | <p>A high speed ring road is missing in the plan. Dedicated big open space, future biological park, recreational area on mass basis should be part of this plan. As water logging is the major problem of the area, The main drain across the area as well as its disposal point should be established.</p> | <p>रिंग रोड के सम्बन्ध में एन0एच0डी0पी0 के प्रस्ताव को मास्टर प्लान में दर्शाया गया है। खुले सीन, पार्क, सड़क के साथ नाला का प्रावधान मास्टर प्लान में किया गया है।</p> |
| 53 | | <p>संदीप कुमार (sandeepkumarsushil@gmail.com</p> | <p>प्रस्तावित लिंक Village road को बन्द करने के संबंध में।</p> | |
| 54 | | <p>प्रशांत बाचस्पति prashantvachaspati@gmail.com</p> | <p>रौनिथा मौजा से NH-78 तक (नौबतपुर ब्लॉक में) 20 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण हेतु।</p> | <p>बिहार भवन उपविधि, 2014 में नये क्षेत्रों के लिए कम से कम 20 फीट की चौड़ाई के सड़क पर भवन निर्माण की अनुमति का प्रावधान किया गया है। आवेदन के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर अनुशंसा की जाएगी।</p> |
| 55 | 91 | <p>R.K. P Singh rkpsingh2k3@rediff mail.</p> | <p>At first I congratulate you for your sincere efforts in developing a draft Plan for Patna.</p> <p>I feel there should a Ring Road in proposed greater Patna which will facilitate faster urbanization.</p> <p>There is no mention about faster access to Bihta, a growing city and hub of education.</p> <p>You should also have a plan for organized city which</p> | <p>Zonal Plan</p> <p style="text-align: right;">श. AB</p> |

| | | | | |
|----|-----|--|--|---|
| | | | should find place in plan. Plan does not mean only demarcation of area. | |
| 56 | 101 | वी०के० आनन्द Veekayanand@gmail.com | अशक्त व्यक्तियों के लिए Public place, Public transport एवं सरकार भवनों में अन्तराष्ट्रीय स्तरीय सुविधा देने के संबंध में। It's really a welcome idea much needed in Patna. A better connectivity at Ashok Rajpath is needed, as major educational hubs are there. There should be complete accessibility for people with disability to public spaces. | मास्टर प्लान में इस क्षेत्र को स्पेशल एरिया दिखलाया गया है। इस एरिया में पूर्व से ही बहुत सड़क निर्मित है एवं इन सड़कों का चौड़ीकरण का प्रस्ताव मास्टर प्लान में प्रस्तावित है। अशक्त व्यक्तियों के लिए Public Transport की सुविधा परामर्शी से विचार कर किया जायेगा। |
| 57 | 147 | शमरेन्द्र सिंह samrandrasingh1959@gmail.com Sub.- Suggestion of Road Network | The following are my objections : 1. Since there is an existing canal road connecting Chakmusa-korji-Muhammadpur-Jamaluddin Chak-Makhdumpuur-Hamidpur Sarari Nasir Chak-Usri-Shikarpur and Nargada Tola. There is no need for a new 30m road being planned in close proximity of the same. 2. The new proposed roads will lead to unnecessary land acquisition in this area where there is an existing road and space for expansion with minimum land acquisition, thereby saving on time and valuable public money. 3. The exiting canal road is currently marked as a 18M road in the Draft master plan and hence it can be easily converted to a 30M road by using the existing infrastructure and reducing land acquisition. 4. The proposed 18M road next to this canal is left incomplete and needs to be completed there by easily connecting the East and West side starting from Muradpur/Chakmusa all the way to Naragadatola, all along the existing canal and best utilizing the existing road | आवेदन में वृथित बिन्दुओं के आलोक में परामर्शी से विमर्श कर अनुशांसा की जाएगी। |

| | | | | |
|----|-----|---|--|--|
| | | | network. | |
| 58 | 158 | विजय कुमार jaybrpnn@gmail.com Sub.- Master plan 2031 High Speed ring Road, main Draing | A high speed ring road is missing in the plan. Dedicated big open space, future biological park, recreational area on mass basis should be part of this plan. As water logging is the major problem of the area, The main drain across the area as well as its disposal point should be established. | मास्टर प्लान में रिंग रोड का प्रावधान किया गया है। ड्रेनेज सिस्टम का प्रावधान किया गया है। |
| 59 | 49 | अखिलेश कुमार akhilesh.2521@gmai l.com | मास्टर प्लान को बिल्डिंग वाय लॉज के बाद प्रभावी करने के संबंध में। | बिहार भवन उपविधि, 2014 अधिसूचित कर दिया गया है। |
| 60 | 63 | I.O.V Bihar iov.bihar@gmail.com | बहुमंजिले इमारतों के स्वीकृत नक्शे में कुल सुपर विल्ट अप एरिया के साथ ही प्रत्येक फ्लैट/दुकान/ऑफिस का सुपर विल्ट अप एरिया दर्शाने के सम्बन्ध में। | मास्टर प्लान से सम्बन्धित नहीं है। |
| 61 | 128 | सतेन्द्र प्रसाद राय sproywan@gmail.co m | Road Net work between Baily Road & Danapur has not been Shown. | मास्टर प्लान में दानापुर एवं बेलीरोड के बीच सड़क को दर्शाया गया है। निर्मित सड़क जिसकी चौड़ाई 12 मीटर से कम है उसे परामर्शी से विचार कर जोनल प्लान में दर्शाया जायेगा। |
| 62 | 54 | परमहंज paramhans132@gmai l.com Sub.-विश्वसनियता पर प्रश्न चिह्न कॉलोनी में अव्यवस्था। | विभाग पूर्व की स्थापित बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के खाली पड़े प्लॉट फ्लैट का सदुपयोग करने के साथ साथ सामान्य सुविधा बहाल करे पत्पश्चात् मास्टर प्लान की महायोजना। इस भत्ता योजना के पूर्व इस कॉलोनी के खाली भूखण्डों पर निर्माण, खाली पड़े फ्लैटों की आवंटन एवं दखल कब्जा कराने के साथ साथ सामान्य जीवन बसर की सुविधा बहाल करने की जिम्मेवारी विभाग द्वारा पूरी की जाय।। | बिहार राज्य आवास बोर्ड से सम्बन्धित है। फ्लैटों के आवंटन एवं दखल कब्जा मास्टर प्लान से सम्बन्धित नहीं है। |
| 63 | 38 | राजेश कुमार tirupatiintl@rediffma il.com | बेली रोड पर Flyover के संबंध में। a) All sectors of the master plan should be developed in such a way that people belonging to all part of master plan area can gain approx same benefits after implementation of the plan. b) At least commercial & residential sectors should be developed on both sides of all roads (at least 1 K.M.) passing through all open areas (agriculture and others...) as per plan. 2) The amount, time period and procedure of refunds | आवेदन के ओलोक में मास्टर प्लान में बेली रोड पर प्लाई ओभर दर्शाते हुए अन्य बिन्दुओं पर परामर्शी से विमर्श कर अनुशंसा की जायेगी। |